20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

361

समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. / /2017 निगरानी P 1257- I-17

राजकुमार जैन पुत्र भागवान दास जैन

निवासी अजयगढ तहसील पन्ना

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

मुन्ना यादव पुत्र श्री रामकिशोर यादव

निवासी मोहाना तहसील अजयगढ, पन्ना

निवासी ग्राम भगावली तहसील सेवडा

जिला दतिया

.....रेस्पोंडेट

श्री ... द्वारा आज दि. 26-4-17 को प्रस्तुत

26/4/17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश प्र0 क्र0/201/प्रवा0/2017 दिनांकी 22/04/2017 द्वारा पारित नायब तहसीलदार तहसील अजयगढ जिला पन्ना

श्रीमान महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्न अनुसार प्रस्तुत है–

प्रकरण के तथ्य–

1 यहकि, प्रतिप्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-1257-एक/2017 जिला- पन्ना

<u>राजकुमार जैन विरूद्ध मुन्ना यादव</u>

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा तहसीलदार अजयगढ़, जिला-पन्ना के प्रकरण क्रमांक 201/प्रवा./2017 में पारित आदेश दिनांक 22-04-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-04-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार, जिला-पन्ना के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर, पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

11-01-2019

(आर.के. जैन)
सदस्य